हलफनामा पेश | पुलिस महानिदेशक व अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में पेश किया हलफनामा

महिला जज को धमकाने वालों दो आरोपी गिरफ्तार

जबलपुर। गौ तस्करी व मॉब लिंचिंग के बहुचर्चित मामले में 14 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाने के बाद महिला जज को इंटरनेट मीडिया पर मिली धमकियों के मामले में एफआईआर दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस बी पी शर्मा की युगलपीठ के समक्ष पुलिस महानिदेशक व अतिरिक्त मुख्य सचिव का हलफनामा पेश करते हुए उक्त जानकारी पेश की गयी।

प्रदेश में जज तथा न्यायालय परिसर की सुरक्षा को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट के द्वारा मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप की जा रही है। पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने सिवनी मालवा में पदस्थ महिला जज तबस्सुम खान द्वारा गोवंश तस्करी व मॉब लिंचिंग के मामले में 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किये जाने के बाद इंटरनेट के माध्यम से मिल रही धमकियों को गंभीरता से लिया। युगलपीठ को बताया गया कि नर्मदापुरम के पुलिस अधीक्षक की तरफ से श्रीमती तबस्सुम खान अतिरिक्त न्यायाधीश सिवनी मालवा को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गयी है।

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि नर्मदापुरम में हमारे न्यायिक अधिकारी के लिए डर का माहौल बना दिया है। ऐसी गतिविधियां सीधे तौर पर न्यायिक स्वतंत्रता और हमारे न्यायिक अधिकारियों के निडर होकर काम करने में बाधा डालती हैं। ऐसी गतिविधियां सीधे तौर पर न्यायिक स्वतंत्रता और हमारे न्यायिक अधिकारियों के निडर होकर काम करने में बाधा डालती हैं। युगलपीठ ने उपद्रवियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही के संबंध में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक व अतिरिक्त मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने के आदेश जारी किये थे। याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों अधिकारियों के हलफनामा पेश करते हुए बताया गया कि महिला जज को इंटरनेट में धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए दो आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा दतिया में जज के साथ हुई घटना के संबंध में आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। कटनी व बैतूल में जज के साथ हुई घटना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही जारी है।

बाघों को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बचाने कान्हा नेशनल पार्क में किया गया दो हजार श्वान को वैक्सीनेशन

कान्हा नेशनल पार्क में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस बाघों की संदिग्ध मौत की चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि वायरस की रोकथाम के लिए कान्हा नेशनल पार्क में के सीमावर्ती क्षेत्रों में दो हजार श्वानों को वैक्सीनेशन किया गया है। याचिका की सुनवाई के दौरान उठाए गए तीन मुद्दो पर हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस वी पी शर्मा की युगलपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार को जवाब पेष करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की है। मुम्बई के चेम्बूर निवासी अधिवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि कान्हा टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की मौत हो रही है। अप्रैल माह में कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन सुनैना और बाघिन अमाही तथा उसके चार अर्धवयस्क शावक की मौत हो गयी। रिपोर्ट के अनुसार मौतों से पहले उनकी शारीरिक स्थिति में स्पष्ट गिरावट देखी गयी गयी। इन मौतों का कारण संदिग्ध कैनाइन डिस्टेंपर वायरस माना गया। एक और युवा नर बाघ महावीर की भी 19 मई 2026 को मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का कारण संभावित कैनाइन डिस्टेंपर वायरस बताया गया है। इसी समय-सीमा के दौरान दो वयस्क नर बाघों की बालाघाट और किसली क्षेत्रों में मृत पाए गए। अकेले कान्हा टाइगर रिजर्व में ही एक महीने के समय में आठ बाघों की मौत हुई है।याचिका में कहा गया था कि कान्हा टाइगर रिजर्व में प्राय: लुप्त रॉयल बंगाल टाइगर की आबादी की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित मापदंड निर्धारित किये गये है। नियमों का पालन नहीं किया जाने के कारण बाघों की मौत में इजाफा हुआ है। टाइगर रिजर्व के भीतर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बाघों की मृत्यु का सिलसिला वर्तमान जारी है। याचिका में राहत चाही गयी है कि निवारण और निगरानी संबंधी उपायों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

वित्त आयोग के समक्ष उठीं पेंशनर्स की 13 मांगें

नवभारत जबलपुर। पेंशनर्स एसोसिएशन जिला जबलपुर के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को सर्किट हाउस में मध्यप्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया से मुलाकात कर राज्य के करीब पांच लाख पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर 13 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। इस दौरान पेंशनर्स से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 49(6) को पेंशनर्स के हित में शीघ्र समाप्त कराने का आग्रह किया। पदाधिकारियों का कहना था की इस प्रावधान के कारण राज्य के पेंशनर्स को केंद्र सरकार के पेंशनर्स की तरह समय पर महंगाई राहत का लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने केंद्र के समान जनवरी 2026 से देय दो प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश भी जल्द जारी कराने की मांग उठाई।

अति-विश्वास में चूक, अपराध करने वालों को सजा मिलेगी : पवैया

बोले-एकजुटता चुभ रही थी, राजनीति और जातियों की दीवारें ढह गई थीं

जबलपुर। आज राम जन्मभूमि की महिमा को घटाने और युवाओं में मंदिर के प्रति बढ़ती श्रद्धा को प्रभावित करने के लिए एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। एक घटना को लेकर 500 सालों के 2 लाख बलिदानों को लांछित किया जा रहा है। यह सच है कि अति-विश्वास के कारण चूक हुई है और अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन हर आदमी प्रवक्ता बन जाए और किसी को भी लांछित करने लगे, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यह बातें अयोध्या राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार राम मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल रहे बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने जबलपुर प्रवास के दौरान दिया। उन्होंने सनातनी समाज को आगाह करते हुए कहा कि राम मंदिर आंदोलन ने जातियों के सारे बंधन और तटबंध तोड़कर पूरे हिंदू समाज को एक ध्वज के नीचे खड़ा किया था। यह एकजुटता दुनिया की आँखों में चुभ रही थी, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के बाद भारत की धरती पर पहली बार सनातनी समाज एक ध्वज के नीचे आया था, जिससे राजनीति और जातियों की दीवारें ढह गई थीं। उन्होंने उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। चल रही एसआईटी की जांच 100 प्रतिशत अपराधियों को पकड़ेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

जबलपुर की 10 मतपेटियों की मतगणना पूरी

जबलपुर, नवभारत। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद निर्वाचन-2026 के तहत जबलपुर जिले की 10 मतपेटियों की मतगणना गुरुवार को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। मतगणना के प्रत्येक चरण में सभी प्रत्याशियों एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई, जिससे पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रही। शेष मतपेटियों की गणना आज शुक्रवार को पूरी की जाएगी, जिसके बाद चुनावी तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है। अब तक की मतगणना में राकेश सिंह भदौरिया, विवेक सिंह, हितोषी जय हार्डिया, नरेंद्र कुमार जैन और आर.के. सिंह सैनी ने बढ़त बनाई है। वहीं महिला प्रत्याशियों का भी प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। प्रतीका पाठक, प्रतिभा वालिया, अन्नू पटेल, प्रीति राजेंद्र तिवारी और राजकुमारी शर्मा बढ़त हासिल करने वाली प्रमुख महिला उम्मीदवारों में शामिल हैं।

रोमांचक होता जा रहा है मुकाबला

मतगणना के साथ चुनावी मुकाबला लगातार रोमांचक होता जा रहा है। अब जब शेष मतपेटियों की गिनती होनी है, तब अधिवक्ता समुदाय की नजरें अंतिम परिणामों पर टिकी हैं। उल्लेखनीय है कि 16 जून से जारी मतगणना प्रक्रिया में अब तक 33,491 मतों की गणना की जा चुकी है। इनमें 32,271 मतपत्र वैध पाए गए हैं, जबकि 1,220 मतपत्र नियमों के अनुरूप नहीं होने के कारण निरस्त किए गए हैं। शुक्रवार की मतगणना के बाद परिषद के नए प्रतिनिधियों की तस्वीर काफी हद तक साफ होने की संभावना है।

मानसून की चाल अब भी सुस्त, सामान्य से 83 मिमी कम बारिश

आज बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक की संभावना, अगले दो-तीन दिन बारिश के आसार

नवभारत, जबलपुर। जिले में मानसून की रफ्तार अब भी धीमी बनी हुई है। जुलाई का पहला पखवाड़ा बीतने को है, लेकिन बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफी पीछे चल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने गुरुवार को जिले में बादल छाए रहने तथा कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ वर्षा की संभावना जताई है। अगले दो से तीन दिनों तक भी ऐसे ही मौसम के बने रहने के संकेत हैं, जिससे किसानों और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुसार 9 जुलाई तक जिले में 180.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में 263.1 मिमी वर्षा सामान्य मानी जाती है। यानी अब तक 82.5 मिमी बारिश की कमी बनी हुई है। हालांकि बुधवार की तुलना में बारिश का अंतर कुछ कम हुआ है और मानसून धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है।

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मानसून अभी भी काफी कमजोर है। 9 जुलाई 2025 तक 455.4 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी, जबकि इस वर्ष इसी अवधि तक केवल 180.6 मिमी बारिश हुई है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 275 मिमी कम वर्षा दर्ज की गई है।

वहीं गुरुवार को जिले का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले वर्ष इसी दिन अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री तथा न्यूनतम 23.0 डिग्री सेल्सियस था। हवा की दिशा दक्षिण-पश्चिम रहने तथा गति 5 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी और मानसूनी सिस्टम की सक्रियता के कारण अगले दो-तीन दिनों तक रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रह सकता है। कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आगामी दिनों में अच्छी बारिश होती है तो खरीफ सीजन की प्रमुख फसलें, विशेषकर सोयाबीन और धान, को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही तापमान में कमी आने से उमस और गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी।

आरपीएफ जवान की सतर्कता से बची युवक की जान

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस (12854) के प्लेटफॉर्म नंबर-6 पर प्रवेश करते समय एक युवक अचानक ट्रेन के सामने पटरी पर लेट गया। ट्रेन के लोको पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत ट्रेन की गति धीमी कर रोक दी।

इसी दौरान आरपीएफ पोस्ट जबलपुर के आरक्षक चन्द्रेश्वर सिंह ने फुर्ती दिखाते हुए युवक को ट्रेन के सामने से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। पूछताछ में युवक ने अपना नाम मुकेश मेश्राम 30 वर्ष निवासी आजाद नगर, अधारताल बताया। उसने कहा कि वह लंबे समय से टीबी की बीमारी से परेशान है और इलाज में काफी पैसा खर्च होने के बावजूद स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने से मानसिक रूप से टूट गया था, जिसके चलते उसने आत्महत्या का प्रयास किया। सूचना मिलने पर आरपीएफ ने उसके परिजनों को बुलाया और आवश्यक तस्दीक के बाद युवक को उसके भांजे के सुपुर्द कर दिया। आरपीएफ की त्वरित कार्रवाई और लोको पायलट की सतर्कता से एक अनमोल जीवन बच गया।

सरकारी लैब में नहीं हुई जीवन रक्षक दवा में एचआईवी रिएक्टिव मिलने की जांच, याचिका खारिज

जबलपुर। लीवर, किडनी और हृदय रोगों की सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली मानव प्लाज्मा आधारित एक जीवन रक्षक दवा के सैंपल में एचआईवी रिएक्टिव पाये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता प्राइवेट लैब की जांच के आधार पर उक्त दावा कर रहा है। याचिकाकर्ता को सही प्रक्रिया का पालन करते हुए सेम्पल को टेस्टिंग के लिए सरकारी एनालिस्ट के पास भिजवाना था। सिर्फ याचिकाकर्ता की शंका के आधार पर कोर्ट कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं कर सकती है। नरसिंहपुर निवासी शुभम कौरव की तरफ से दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि उन्होंने 8 अप्रैल 2024 को चिकित्सकीय पर्चे के आधार पर जबलपुर के नेपियर टाउन स्थित एक मेडिकल स्टोर से ह्युमन एल्वुमिन साल्युशन के तीन एम्पुल खरीदे थे। यह दवा इंजेक्शन के माध्यम से मरीजों को दी जाती है। याचिका में कहा गया है कि दवा लगाने से पहले एहतियात के तौर पर एक एम्पुल की जांच कराई गई।

विश्वासघात कर हड़पे 25 लाख, एफआईआर

नवभारत, जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत इंद्रागांधी वार्ड छोटी बजरिया निवासी एक बुजुर्ग के साथ जालसाज ने विश्वासघात करते हुए 25 लाख रूपए हड़प लिए और रफूचक्कर हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कृष्णकांत दुबे 65 वर्ष निवासी इन्द्रागांधी वार्ड छोटी बजरिया गढा ने लिखित शिकायत की कि सिद्धेश्वर कालोनी, गोटेगांव (श्रीधाम) जिला नरसिंहपुर निवासी राजाराम तिवारी 62 वर्ष उसके परिचित हैं जिनसे पारिवारिक अच्छे सम्बंध हैं राजाराम तिवारी के दो पुत्र हैं। बड़ा पुत्र अमिष तिवारी 32 वर्ष शादीशुदा है इनका एक पेट्रोल पम्प, श्रीधाम पेट्रो कृषि केन्द्र श्रीनगर तिराहा के पास परमहंसी रोड, श्रीधाम गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में है एवं बाहर से अच्छी कंडीशन के पुराने वाहन लाकर विक्रय करने का काम भी करते हैं, राजाराम तिवारी के पुत्र अमिष तिवारी ने उसे अपनी जरूरत बताकर माह फरवरी 2025 में उससे 10 लाख रूपये की मांग की। इनके परिवार से अच्छे संबंध होने के कारण उसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा गढ़ा में जमा अपनी फिक्स डिपाजिट तुड़वाकर चैक के माध्यम से 10 लाख रूपये की राशि अमिष तिवारी को श्रीधाम पेट्रो कृषि केन्द्र श्रीधाम गोटेगांव के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से जमा की गयी। जिसकी जानकारी राजाराम तिवारी को भी दी गई, माह नवम्बर 2025 में अमिष तिवारी ने बताया कि कुछ और रूपयों की आवश्यकता है अमिष तिवारी द्वारा शीघ्र वापस करने के आश्वासन दिये जाने के बाद एवं परिवार के साथ अच्छे संबंधों को देखते हुए उसके द्वारा पुन: एफ.डी. फिक्स डिपाजिट राशि तुड़वाकर 15 लाख रूपये नगद राशि दी गई। इस तरह अमिष तिवारी द्वारा उसे भरोसे में लेकर उससे कुल 25 लाख रूपये की राशि प्राप्त कर ली गई, लेकिन वापस नहीं की गई उसके द्वारा बार-बार मांगने पर भी अमिष तिवारी द्वारा वापिस नहीं की जा रही है।

कईयों को चपत लगा फरार, दो थानों में गुमशुदगी है दर्ज

कृष्णकांत के मुताबिक उसे अमिष तिवारी के बड़े पिता एवं उसके मित्र अशोक तिवारी निवासी हाथीताल से जानकारी मिली कि उनके दोनों छोटे भाईयों के पुत्र अमिष तिवारी, तन्मय तिवारी एवं आयुष तिवारी, बहु इशिता तिवारी अपनी एक वर्षीय पुत्री सहित पांचों लोग लापता हैं राजाराम तिवारी द्वारा लापता होने की रिपोर्ट मढोताल एवं थाना गोटेगांव में दर्ज कराई गई है। इसके बाद अमिष तिवारी द्वारा अपनी चचेरी बहिन एवं उसके मित्र अशोक तिवारी की पुत्री अंकिता द्विवेदी पति शिवम द्विवेदी निवासी विजय नगर से भी अपनी जरूरत बताकर लगभग 20 लाख रूपये लिये गये। अमिष द्वारा अपनी बुआ के लड़के अनूप गिदरौनिया निवासी शिवहरी अपार्टमेन्ट, राईट टाउन से भी लगभग 20-25 लाख रूपये लिये गये हैं।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57